मध्यप्रदेश शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

क्रमांक6844/ MGNREGS / NR-3 / 2011 भोपाल, दिनांक 30 /06/ 2011

प्रति,

1 कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक समस्त (म.प्र.)
2 मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अति. जिला कार्यक्रम समन्वयक महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना समस्त (म.प्र.)
3 अधीक्षण यंत्री, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा मण्डल (समस्त)
4 कार्यपालन यंत्री, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग (समस्त)

विषयः महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम के अंतर्गत कार्यरत श्रमिकों के टास्क का, कार्य, समय एवं गति अध्ययन के आधार पर युक्तियुक्तकरण।

विषय पर विभाग के क्रमांक 6545 / MGNREGS / NR-3 / 2011 भोपाल, दिनांक 22.06.2011 द्वारा जारी किए गए आदेशों पर एवं महात्मा गांधी नरेगा के अंतर्गत संपादित किए जा रहे निर्माण कार्यों पर पुनरीक्षित टास्क दरों के प्रभावों पर निम्नानुसार बिन्दु स्पष्ट किए जाते हैंः

1. दिनांक 01 जुलाई 2011 से संशोधित दर अनुसूची जो कि पुनरीक्षित टास्क दरों पर तैयार की गई है, लागू होगी।

2. सामान्यतः साप्ताहिक मस्टररोल में छः दिवस के कार्य कराया जाकर बाजार हाट के दिन के एक दिन पूर्व बंद किया जाता है। परन्तु बिन्दु क्रमांक 1 में लागू व्यवस्था के कारण विशेष परिस्थिति में महात्मा गांधी नरेगा योजना के अंतर्गत मस्टररोल को दिनांक 30.06.2011 को अनिवार्य रूप से बंद (Close) किया जावे भले ही मस्टररोल की अवधि एक सप्ताह से कम हो। इन Close किए गए मस्टररोलों पर किए गए कार्य का मूल्यांकन विद्यमान, लागू दर अनुसूची के अनुसार किया जाए। सप्ताह के शेष दिनों के लिए दिनांक 01 जुलाई 2011 से नवीन मस्टररोल खोला जाए जिस पर मूल्यांकन 01 जुलाई 2011 से लागू दरों के आधार पर होगा। इसके उपरांत साप्ताहिक मस्टररोल के आधार पर आगे कार्य किया जा सकेगा।

3. दिनांक 30 जून 2011 तक किए गए कार्य के मापांकन माप पुस्तिका में लाल स्याही से इस प्रकार किया जाए कि दिनांक 30 जून 2011 एवं इसके पूर्व संपादित किए गए

कार्य एवं दिनांक 01 जुलाई 2011 से संपादित किए गए कार्य के माप स्पष्ट रूप से पहचाने जा सकें।

4. पुनरीक्षित दरों के कारण निर्माण कार्यों की स्वीकृतियों में पुनरीक्षण की आवश्यकता हो सकती है। पुनरीक्षित स्वीकृतियों हेतु पुनरीक्षित प्राक्कलन निम्नलिखित विधि से तैयार किए जाकर नियमानुसार स्वीकृतियां सक्षम अधिकारियों द्वारा जारी की जावेः

   (i) 30 जून 2011 तक किए गए कार्य का प्राक्कलन **'भाग–क'** के रूप में तैयार किया जाए।

   (ii) पुनरीक्षित दरों के आधार पर किए जाने वाले कार्य का प्राक्कलन **'भाग–ख'** के रूप में तैयार किया जाए।

   (iii) पुनरीक्षित स्वीकृतियां प्राक्कलन के **'भाग–क'** एवं **'भाग–ख'** को शामिल करते हुए जारी की जावे।

   (iv) जो कार्य दिनांक 01 जुलाई 2011 के बाद प्रारंभ किए जावेंगे उनके प्राक्कलन पुनरीक्षित दर अनुसूची के अनुसार पुनरीक्षित किए जाए।

   (v) पुनरीक्षित तकनीकी एवं प्रशासनिक स्वीकृतियां सक्षम प्राधिकारियों द्वारा ही जारी की जाए एवं महात्मा गांधी नरेगा MIS, NREGA-Soft में इनकी प्रविष्टियां यथा समय सुनिश्चित की जाऐं।

   (vi) जिला कलेक्टर एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत अभियान चलाकर एक माह की समयावधि के भीतर पुनरीक्षित स्वीकृतियों की महात्मा गांधी नरेगा Software में प्रविष्टि की कार्यवाही पूर्ण करें।

5. रूपये 5.00 लाख से अधिक लागत के निर्माण कार्य वर्तमान निर्देशों के अनुसार ग्राम पंचायतों द्वारा सम्पन्न नहीं करवाए जा सकते। परन्तु इस दर पुनरीक्षण के फलस्वरूप यदि रूपये 5.00 लाख तक लागत के ग्राम पंचायत के माध्यम से निर्माणाधीन कार्य पुनरीक्षित स्वीकृति के उपरान्त रूपये 5.00 लाख से अधिक लागत के हो जाते हैं, तब भी वे कार्य यथावत ग्राम पंचायत से ही सम्पन्न करवाए जावेंगे। यह Exception केवल एक बार वर्तमान दर पुनरीक्षण के कारण अमुनत किया जा रहा है।

कृपया उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जावे।

(अरूणा शर्मा)
प्रमुख सचिव
म.प्र. शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

6845

पृ. क्रमांक / MGNREGS / NR-3 / 2011 भोपाल, दिनांक 30/06/2011

प्रतिलिपि

1. आयुक्त, म.प्र. राज्य रोजगार गारंटी परिषद भोपाल।
2. मुख्य अभियंता, म.प्र. राज्य रोजगार गारंटी परिषद भोपाल।
3. मुख्य अभियंता, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा भोपाल।
4. कमिश्नर, समस्त संभाग।
5. समस्त सहायक यंत्री ग्रामीण यांत्रिकी सेवा / महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम–म.प्र.।
6. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत एवं कार्यक्रम अधिकारी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम–म.प्र.।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

29/6

प्रमुख सचिव
म.प्र. शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग